B- 3 4
L- 37
Polity

अध्यादेश जारी करने की शक्ति

राष्ट्रपति की प्रशासनिक / कार्यपालिका शक्ति

- प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति
- राज्यपाल की नियुक्ति
- ये सभी पदाधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करते हैं। प्रधानमंत्री के अलावा

उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति,

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति (संसद के विशेष बहुमत द्वारा)

संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति

- उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का रिकमंडेशन

• भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा अनेक प्रकार की नियुक्तियाँ की जाती हैं परन्तु इन नियुक्तियों की प्रकृति अलग-अलग है।

(a) ऐसे पदाधिकारी जो राष्ट्रपति के अन्तर्गत कार्य करते हैं।

(b) ऐसे पदाधिकारी जो कार्यपालिका के विरुद्ध कार्य करते हैं इसीलिए ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त कार्य नहीं करते यही संविधान में अन्तर्निहित नियंत्रण एवं

संतुलन का सिद्धांत है। जिसके अन्तर्गत संसद के विशेष प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति इन्हें अपने पद से नहीं हटा सकता अन्यथा जिस पदाधिकारी के द्वारा कोई नियुक्ति होती है उसी के द्वारा हटाया भी जाना चाहिए।

- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य को भी अपने पद से हटाने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है यद्यपि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है।
- न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है इसीलिए उसे यह दायित्व दिया गया है और यहाँ न्यायालय कार्यपालिका को नियंत्रित व संतुलित करता है।

विधायी शक्ति (राष्ट्रपति)

- भारतीय संविधान में एक ओर शक्ति पृथक्करण अपनाया गया है क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्य पृथक हैं।
- लेकिन मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य सांसद होते हैं यह विधायिका, कार्यपालिका के

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

बीच समन्वय एवं सामंजस्य का बेहतरीन उदाहरण है।

- इसी के साथ संविधान में नियंत्रण व संतुलन भी अपनाया गया है क्योंकि संसद मंत्रिमण्डल से प्रश्न पूछ सकती है जबकि कार्यपालिका को भी यह शक्ति दी गयी है कि वह विधायिका को नियंत्रित करे और यदि विधायिका कोई त्रुटिपूर्ण विधि का निर्माण करती है अथवा हड़बड़ी में कोई विधि पारित करती है तो राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

अध्यादेश जारी करने की शक्ति

- राष्ट्रपति, अनुच्छेद (123)
  ↓
  अध्यादेश
  ↓
  किन विषयों पर
  ↓
  संसद के पास विधि निर्माण की शक्ति
- किन विषयों पर जारी नहीं होगा
  - (i) संविधान संशोधन
  - (ii) बजट
- समय सीमा
  - (i) 6 सप्ताह
  - (ii) व्यवहारिक रूप में
  - (iii) अध्यादेश की अवधि
  6 महीने, 6 सप्ताह

विधि निर्माण की शक्ति

(i) संघीय सूची, (ii) समवर्ती सूची

किन परिस्थितियों में जारी होगा

1. एक सदन सत्र में न हो।
2. दोनों सदन सत्र में न हो।
3. ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जहाँ तत्काल विधि की आवश्यकता है।

अध्यादेश और शक्ति का पृथक्करण

- शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार अध्यादेश जारी करना कार्यपालिका के हाथ में है या राष्ट्रपति के हाथ में है और सामान्यत: अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा निर्मित विधि है और कार्यपालिका के द्वारा विधि का निर्माण शक्ति पृथक्करण का विरोधी दिखाई देता है क्योंकि जब कार्यपालिका विधि का निर्माण करती है या अध्यादेश जारी करती है तो न तो सदन के समक्ष लाया जाता है और न ही विपक्षी दल को इस पर आलोचना का अवसर प्राप्त होता है विधि की खामियाँ भी पता नहीं चल पाती।
- इसके बावजूद अध्यादेश पर संसद का नियंत्रण होता है क्योंकि अध्यादेश जारी करने के बाद जब भी संसद का सत्र

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

आयोजित होगा इसे संसद के अनुमोदन के बिना रद्द मान लिया जाएगा। अतः अध्यादेश एक अस्थायी विधि है जो किसी भी आवश्यक परिस्थिति में ही जारी हो सकती है।

अध्यादेश का दुरुपयोग

1. अध्यादेश आवश्यक परिस्थिति में जारी होना चाहिए जहाँ विधि निर्माण के लिए संसद उपस्थित नहीं है।

2. आवश्यक परिस्थिति संविधान में परिभाषित नहीं है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अध्यादेश को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि राष्ट्रीयकरण के लिए कोई आवश्यक तात्कालिक परिस्थिति विद्यमान नहीं थी। (आर. सी कूपर वाद)

3. संविधान में एक ही अध्यादेश को बार-बार जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है जबकि भारत में कई राज्यों के द्वारा एक ही अध्यादेश को दशकों तक चलाया गया है। क्योंकि इसे बार-बार जारी किया गया। इससे यह प्रश्न उत्पन्न होना स्वभाविक है कि

KGS IAS

अध्यादेश का प्रयोग आवश्यक परिस्थितियों में विधि के निर्माण के लिए किया जा रहा है अथवा विधायिका की शक्ति को हतोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा है और यह संविधान के साथ धोखा है।
(डी.सी. वाधवा वाद)

अध्यादेश और न्यायालय

- अध्यादेश के द्वारा वे सभी कार्य किये जा सकते हैं जो सामान्य विधि के द्वारा संभव हैं और यदि सामान्य विधि का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है तो अध्यादेशों का भी न्यायिक पुनरावलोकन आवश्यक है।
- लेकिन यह दिलचस्प मामला है कि न्यायालय की बढ़ती सक्रियता के भी कारण अध्यादेश जारी करने पड़े।
- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए भी क्रीमीलेयर को लागू करने पर विचार करना चाहिए लेकिन इसके विरोध में मंत्रिमण्डल ने प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

क्रीमीलेयर का विचार लागू नहीं होगा।

- उच्चतम न्यायालय के द्वारा संघ सरकार और दिल्ली के बीच अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को परिवर्तित करने के लिए अध्यादेश लाया गया।

- इसके पहले भी आरक्षण तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रताड़ना विरोधी अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद जनाक्रोश को शान्त करने के लिए सरकार को अध्यादेश जारी करना पड़ा।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति

(i) संविधान एवं विधि में नहीं है।

(ii) लोकप्रिय शब्द है 'वीटो'।

राष्ट्रपति
- अनुमति देगा
- अनुमति नहीं देगा
- पुनर्विचार के लिए भेजेगा

राज्यपाल
- अनुमति देगा
- अनुमति नहीं देगा। – निरपेक्ष वीटो
- पुनर्विचार के लिए भेजेगा – निलम्बनकारी वीटो
- राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा। – समय सीमा नहीं है (पॉकेट वीटो)